मंत्रिमंडल के लिए जुलाई , 2021 हेतु मासिक सारांश

भाग 1 **अवर्गीकृत**

माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राज्य मंत्री (एन), गृह मंत्रालय की 72 आरआर के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) परिवीक्षाधीन अधिकारियों के साथ वर्चुअल बातचीत दिनांक 31.07.2021 को सफलतापूर्वक आयोजित हुई।

2. माननीय गृह मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य मंत्रियों, मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित विभिन्न मामलों की समीक्षा के लिए शिलाँग (मेघालय) में दिनांक 24.07.2021 को एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास और पर्यटन मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री, केंद्रीय गृह सचिव और गृह मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

3. माननीय गृह मंत्री ने उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता की तथा वर्ष 2020 के बाढ़ के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र तथा सुखे के लिए राजस्थान (वर्ष 2020 के लिए खरीफ) को अतिरिक्त वित्तीय सहायता अनुमोदित की। व्यय विभाग को कर्नाटक को 629.03 करोड़ रु. एवं महाराष्ट्र को 701 करोड़ रु. जारी करने की सलाह दी गई।

4. केंद्रीय गृह सचिव ने कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए निम्नलिखित वीसी बैठकें आयोजित की

(i) दिनांक 07 जुलाई, 2021 को संघ राज्य क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की।

(ii) दिनांक 10 जुलाई, 2021 को, पर्वतीय स्थलों और पर्यटन स्थलों में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए राजस्थान, केरल, गोवा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा।

(iii) नियंत्रण कार्यनीतियों, लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 9 जुलाई, 16 जुलाई और 23 जुलाई 2021 को वीसी के माध्यम से अधिकार प्राप्त समूह 10 की तीन बैठकें आयोजित की गईं।

5. दिनांक 14.07.2021 को, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को यह अर्ध शासकीय पत्र लिखा गया था कि वे जिले और अन्य सभी संबंधित स्थानीय अधिकारियों को भीड़-भाड़ वाले स्थानों को विनियमित करने और कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए सख्त निर्देश जारी करें।

6. दिनांक 28.07.2021 को, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कोविड-19 प्रबंधन के लिए रोकथाम उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किया गया था, जैसा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 28.06.2021 से 31.08.2021 तक की एडवाइजरी में बताया गया था। तत्पश्चात, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को अर्ध शासकीय पत्र जारी करके कहा गया कि वे कोविड-19 के प्रबंधन के लिए सख्त अनुपालन और आवश्यक उपाय सुनिश्चित करें।

7. दिनांक 23.07.2021 को, आपातकालीन कार्रवाई के लिए एकीकृत नियंत्रण कक्ष (आईसीआर-ईआर) के कार्य-निष्पादन/कार्यान्वयन के संबंध में गृह मंत्रालय और एनआईसीएसआई, एनआईसी, एनआरएससी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

8. केंद्रीय गृह सचिव ने बोडो समझौते (2020) के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए दिनांक 06.07.2021 को मुख्य सचिव, असम के साथ बैठक की।

9. केंद्रीय गृह सचिव ने दिनांक 09.07.2021 और पुनः 28.7.2021 को नई दिल्ली में असम और मिजोरम के मुख्य सचिवों/डीजीपी के साथ असम-मिजोरम सीमा पर अंतर-राज्यीय सीमा विवादों की समीक्षा की।

10. सिंगापुर उच्चायुक्त ने पारस्परिक हित के द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 20 जुलाई, 2021 को केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात की।

11. गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मेघालय, बिहार और तेलंगाना में एक विशेष तैनाती अवधि के लिए कानून एवं व्यवस्था ड्यूटी हेतु सीधे शामिल करने के रूप में सीएपीएफ की कुल 86 कंपनियों की तैनाती का आदेश दिया गया है।

12. 2000 पूर्व सैन्य कर्मियों को संविदा आधार पर नियुक्त किया गया था। 2000 में से, 1265 उम्मीदवारों का चयन किया गया है और उन्हें दिनांक 01.08.2021 तक संबंधित इकाई में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है।

13. नई ऑनलाइन निगरानी प्रणाली (ओएलएमएस) की स्थापना के साथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) कम एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान (ईटीपी) के निर्माण और इसे दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के साथ ही साथ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के ऑनलाइन सर्वर से भी जोड़ने के लिए स्वच्छता कार्य योजना के अंतर्गत दिनांक 14 जुलाई, 2021 को 52,96,517/- रु. की मंजूरी दी गई।

14. पुलिस बल के आधुनिकीकरण से संबंधित अंब्रेला स्कीम में 350.00 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रभाव के आईआर बीएन स्कीम को शामिल करने/जारी रखने के लिए दिनांक 26.07.2021 को ईएफसी की बैठक आयोजित की गई थी।

15. ईएफसी की बैठक, दिनांक 31.03.2021 के बाद, सीएपीएफ, सीपीओ और दिल्ली पुलिस की पुलिस अवसंरचना निर्माण परियोजना और केंदीय क्षेत्र स्कीम अर्थात बीएसएफ एयर विंग, एयरक्राफ्ट, रिवरबोट और हेलीबेस की अंब्रेला स्कीमों को क्रमशः 21087.11 करोड़ रुपये और 732.05 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय से जारी रखने के लिए दिनांक 27.07.2021 को आयोजित की गई।

16. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए आधुनिकीकरण योजना-IV का ईएफसी ने दिनांक 27.07.2021 को मूल्यांकन किया है।

17. विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 45(1) के अनुसरण में 11 अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल करने के लिए दिनांक 1 जुलाई, 2021 को अभियोजन की मंजूरी प्रदान की गई और 10,36,000/- रु. मूल्य के बरामद जाली भारतीय करेंसी नोट (एफआईसीएन) जब्त किए गए।

18. अपर सचिव (पूर्वोत्तर) ने ब्रू समझौते (2020) के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए दिनांक 07.07.2021 को एक बैठक की अध्यक्षता की।

19. केंदीय गृह मंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में मादक पदार्थ ट्रैफिकिंग के बारे में दिनांक 25.07.2021 को शिलांग (मेघालय) में पूर्वोत्तर राज्यों के महानिदेशक (डीजी), स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक के साथ बैठक की।

20. जुलाई 2021 के दौरान, रिपोर्टाधीन महीने के दौरान मादक पदार्थों की ट्रैफिकिंग में संलिप्तता के लिए 3700 किलोग्राम से अधिक स्वापक पदार्थों को जब्त किया गया और 69 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

21. जुलाई 2021 के दौरान, अरूणाचल प्रदेश राज्य सरकार को सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के अंतर्गत 3.84 करोड़ रु. की धनराशि जारी की गई है।

22. व्यय विभाग, डाक विभाग और वित्तीय सेवाएं विभाग के प्रतिनिधियों के साथ एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों में वित्तीय समावेशन के संबंध में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए अपर सचिव (एलडब्ल्यूई) की अध्यक्षता में दिनांक 15 जुलाई, 2021 को अधिकार प्राप्त समिति की एक वीसी बैठक का आयोजन किया गया।

23, एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों में एलडब्ल्यूई गतिविधियों का सामना करने के लिए राज्य सरकार/सीएपीएफ को संबंधित विषय से अवगत कराने के लिए उन्हें एक एडवाइजरी जारी की गई है।

*****